उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 15 ₹ 20/- 1-15 जनवरी, 2019

पाकिस्तान में कट्टरवादी मौलानाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में हो रहे हैं प्रदर्शन

और पढ़ें...

- अहमदियों के खिलाफ मुसलमानों का संयुक्त मोर्चा
- अमेरिकी संसद में कुरान पर शपथ
- सउदी अरब में तलाक का पंजीकरण अनिवार्य
- मुस्लिम युवकों को सोशल मीडिया से दूर रहने का निर्देश

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 15

1–15 जनवरी, 2019

परामर्शदाता

प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक

मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग

शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार

सुधीर कुमार सिंह

(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय

डी-51, प्रथम तल,

हौज खास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : indiapolicy@gmail.com

वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा

भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए

डी-51, प्रथम तल, हौज खास,

नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित

तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,

ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,

नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. पाकिस्तान में कट्टरवादी मौलानाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में हो रहे हैं प्रदर्शन

II. फिर खटाई में तीन तलाक विधेयक

III. अहमदियों के खिलाफ मुसलमानों का संयुक्त मोर्चा

IV. हज का कोटा तय

V. अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलने की याचिका खारिज

VI. सिराजुद्दीन कुरैशी का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर कब्जा बरकरार

विश्व

I. चीन पाकिस्तान को दे रहा है चार युद्धपोत

II. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बांग्लादेश के चुनाव की जांच करवाने की मांग

III. कंधार में 17 सैनिक मरे

IV. सउदी किशोरी को आस्ट्रेलिया में शरण

V. अमेरिकी संसद में कुरान पर शपथ

VI. बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला

VII. पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं

VIII. तालिबान का अमेरिका के साथ वार्ता करने से इनकार

पश्चिमी एशिया

I. सउदी अरब में तलाक का पंजीकरण अनिवार्य

II. तुर्की के खिलाफ अमेरिका का अभियान

III. मिस्र में सबसे बड़ी मस्जिद

IV. तुर्की में 140 विद्रोही गिरफ्तार

V. ईरान में नौ बहाईयों को कैद

VI. मिस्र का इजरायल के साथ सुरक्षा सहयोग

VII. सीरिया में पांच आतंकवादी गिरफ्तार

अन्य

I. जफर सरेशवाला की मौलाना हसनी नदवी से रहस्यमय मुलाकात

II. मुंबई में ईरानी बैंक की शाखा

III. एक अन्य आतंकवादी पुलिस हिरासत में

IV. मुस्लिम युवकों को सोशल मीडिया से दूर रहने का निर्देश

V. तीन तलाक पर मुकदमा दर्ज

VI. तुर्क उद्योगपतियों को पाकिस्तान में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण

VII. अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई का प्रयास विफल

सारांश

पाकिस्तानी अतिवादी मौलानाओं के साथ भारतीय मुस्लिम नेताओं के गहरे रिश्ते रहे हैं। हाल में ही जब पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हजरत मोहम्मद के अपमान के जुर्म से एक ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी किया गया तो इस अदालती फैसले के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलानाओं ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग मारे गए और अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। जब इन दंगाई तत्वों के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया तो उसके खिलाफ भारत के कट्टरपंथी मौलाना मैदान में कूद पड़े। अजीब बात यह है कि इन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के संगठन देशव्यापी प्रदर्शन करके पाकिस्तान में पकड़े गए हजारों कट्टरपंथियों को फौरन रिहा करने की मांग कर रहे हैं। रजा एकेडमी के नेताओं ने घोषणा की है कि जबतक पाकिस्तान सरकार इन्हें रिहा नहीं करती, वे भारत में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखेंगे।

बहुचर्चित तीन तलाक के खिलाफ विधेयक फिर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने इसे संसद से पारित करवाने का प्रयास किया था। लोकसभा में तो यह पारित हो गया था मगर राज्यसभा में आकर फिर मामला अटक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है। इसके बाद मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। जब इस अध्यादेश से सम्बन्धित विधेयक को संसद में पारित करवाने का प्रयास किया गया तो फिर मामला पहले की तरह ही लटक गया। क्योंकि पहला अध्यादेश तो अब रद्द हो चुका है इसलिए सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार पुनः अध्यादेश लाने का प्रयास करेगी?

सउदी अरब में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे इसका पंजीकरण करवाना होगा। सउदी अरब की परिवार न्यायालय इस तलाक के बारे में सम्बन्धित महिला को मोबाइल पर संदेश भेजकर सूचित करेगी। सउदी सरकार के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि पुरुष अपनी पत्नियों को बिना जानकारी दिए तलाक दे देते हैं ताकि वे महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से बच सकें। सउदी अरब में इन दिनों जो उदारवाद की लहर चल रही है उसके कारण ही इस तरह का फैसला करना वहां के शासकों के लिए सम्भव हो पाया है।

ईरान में शिया सरकार द्वारा अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्धित मुसलमानों के उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। हाल में ही वहां की एक अदालत ने बहाई सम्प्रदाय के नौ व्यक्तियों को कैद की सजा सुनाई है। ईरान में बहाई सम्प्रदाय को काफिर घोषित किया जा चुका है और किसी भी मुसलमान द्वारा बहाई धर्म को अपनाना कानूनन अपराध है।

जमीयते उलेमा नामक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम युवकों को यह निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें किसी मुसीबत में फंसा सकती हैं।

भारत में अहमदियों और अन्य मुस्लिम संगठनों के बीच मतभेद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह भारत सरकार भी अहमदियों को गैर–मुस्लिम घोषित करे। अहमदियों के खिलाफ सभी अन्य मुस्लिम संगठन एकजुट हो गए हैं। उनके द्वारा अहमदियों के बहिष्कार का अभियान दिन–प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है।

राष्ट्रीय

I

पाकिस्तान में कट्टरवादी मौलानाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में हो रहे हैं प्रदर्शन

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी, 2019) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने आसिया बीबी की रिहाई के बाद देश में कट्टरवादी मौलानाओं द्वारा मचाए गए उत्पात के सिलसिले में जिन सैकड़ों मुल्लाओं को गिरफ्तार किया गया है उनके समर्थन में भारत के मुल्ला और मौलवी भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। देश में कई जगहों पर पाकिस्तानी मुल्लाओं के समर्थन में भारतीय मुसलमान और उनके संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली में भी किया गया। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान की एक ईसाई महिला आसिया बीबी पर मोहम्मद पैगम्बर का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि उसे कुछ कट्टरवादी मौलानाओं ने जानबूझकर इस आरोप में फंसाया था क्योंकि वे उसे इस बहाने मुसलमान बनाना चाहते थे। पाकिस्तानी कानून में कुरान, इस्लाम और रसूल के तौहीन के आरोप की सजा फांसी है। अब तक इस कानून में कई बेगुनाह फंसाए जा चुके हैं। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम, कुरान या रसूल के अपमान करने का आरोपी है और वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे फांसी की सजा से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि आसिया बीबी को तीन वर्ष पूर्व जब गिरफ्तार किया गया था तो उस समय पाकिस्तानी पंजाब के तात्कालीन राज्यपाल सलमान तासीर ने इस कानून को नरम बनाने का सुझाव दिया तो उन्हें यह सुझाव बहुत महंगा पड़ा और उन्हीं के अंगरक्षक हुसैन मोहम्मद कादरी ने उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस अंगरक्षक को जब फांसी की सजा दी गई तो उसे फांसी के फंदे से बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन हुए थे। आसिया बीबी को हाल में ही पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने पैगम्बर मोहम्मद के तौहीन के आरोप से बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के एक अतिवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बाईक या रसूल अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान में हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंसक आंदोलन की ज्वाला भड़काने वाले और अरबों रूपये की सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने वाले इस अतिवादी संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के इन अतिवादी मौलवियों के समर्थन में भारतीय मुसलमान और उनके संगठन भी मैदान में कूद पड़े हैं और वे यह मांग कर रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और उनके साथियों को पाकिस्तान सरकार फौरन रिहा करे। दिल्ली में इस सिलसिले में एक बड़ा प्रदर्शन तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी के नेतृत्व में शास्त्री पार्क में हुआ। इसी तरह से करदमपुरी की जामा मस्जिद में भी मुफ्ती मुंतज़ीम अली के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ऐसे ही प्रदर्शन दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट, सीलमपुर, भलस्वा डेरी आदि में भी हुए। इसके अतिरिक्त बरेली, मथुरा और बदायूं में भी इन पाकिस्तानी अतिवादियों के समर्थन में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किए। मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इमरान सरकार इस्लाम विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना न बने। उन्होंने कहा कि अब एक दूसरे का मुंह ताकने का समय नहीं है। मगर कफन बांधकर इस्लाम के गौरव और पैगम्बर के सम्मान के लिए शैतानी ताकतों और सत्तारूढ़ लोगों से हिसाब मांगने का वक्त आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार ने इजरायली एजेंट फराज परवेज के दबाव पर इस्लाम के सच्चे अनुयायियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पैगम्बर के प्रेमियों और इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने वालों के खिलाफ पूरी यहूदी लॉबी सक्रिय है। उन्होंने इमरान सरकार को इजरायली एजेंट, गुस्ताख रसूल, फराज परवेज और अन्य इस्लाम विरोधी ताकतों का खिलौना बताया। तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव कारी सगीर अहमद रिजवी ने कहा कि आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दहशतगर्दी फैलायी जा रही है और मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है।

इंकलाब (25 दिसम्बर, 2018) के अनुसार रजा एकेडमी की ओर से पाकिस्तान में अतिवादी मौलानाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए रजा एकेडमी के प्रमुख मौलाना मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि रसूल की इज्जत के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को पाकिस्तान सरकार अंधाधुंध गिरफ्तार कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के संविधान में पैगम्बर का अपमान करनेवालों के लिए सजा-ए-मौत की व्यवस्था है। रजा एकेडमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना अमानुल्लाह रजा कादरी ने घोषणा की कि जब तक पाकिस्तान सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं करती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जगह-जगह प्रदर्शन करेंगे। हमारी रगों में रसूल का खून है और हम रसूल के सच्चे पाकिस्तानी अनुयायियों को रिहा कराकर ही दम लेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान में सात हजार मौलवियों और 35 हजार अन्य लागों को इमरान सरकार ने गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से पाकिस्तान के दूतावास पर प्रदर्शन के लिए बढ़े। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के दूतावास को देने के लिए एक ज्ञापन पुलिस अधिकारियों के हवाले किया। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, उलेमा को रिहा करो, आतंकवाद बंद करो आदि नारे लगा रहे थे।

उल्लेखनीय है कि यह वही रजा एकेडमी है जिसने कुछ वर्ष पूर्व रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न की आड़ लेकर मुंबई के आजाद मैदान में खूब बवाल मचाया था और जमकर हिंसा की थी।

II

फिर खटाई में तीन तलाक विधेयक

विपक्ष के प्रबल विरोध के कारण तीन तलाक बिल फिर खटाई में पड़ गया है। हालांकि लोकसभा ने इसे पारित कर दिया था मगर राज्यसभा में विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। सरकार ने पहले यह निर्णय किया था कि इसे सोमवार (7 जनवरी) को सदन में पेश किया जाएगा।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 जनवरी, 2019) के अनुसार विपक्ष ने मांग की थी कि लोकसभा द्वारा पारित तीन तलाक विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। इस पर सदन में जबर्दस्त हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया। मगर बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच समझौता न होने के कारण इस विधेयक को सदन में पेश नहीं किया जा सका और उसी दिन राज्यसभा के सत्र का सत्रावसान कर दिया गया। क्योंकि सदन में यह बिल पारित नहीं हो सका इसलिए सरकार ने इस संदर्भ में जो अध्यादेश जारी किया था वह भी अब रद्द हो गया है। केन्द्र सरकार इस संदर्भ में अगली क्या कार्रवाई करती है यह अभी स्पष्ट नहीं है। समाचारपत्र के अनुसार राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ने जब तीन तलाक विधेयक सदन में पेश करना चाहा तो सभी विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और वे शोर मचाने लगे। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि वे इस कानून को पारित करने के पक्ष में हैं लेकिन सदन की कार्यवाही की धारा 125 के तहत 15 विपक्षी दलों ने इस बिल को संयुक्त समिति में भेजने का जो नोटिस दिया था उस पर पहले विचार होना चाहिए। इसके बाद सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष के 90 सदस्य इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के पक्ष में हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही चलाना चाहती हैं मगर इससे पहले विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 1993 से चली आ रही परम्परा को तोड़ा है और विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के जांच के बिना ही पास करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा

कि यह विधेयक करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा इसलिए इसे संयुक्त समिति को भेजना जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि विपक्ष के नोटिस पर चर्चा करना एजेंडा में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस ने पहले भी इस बिल पर चर्चा में भाग लिया था और इस बार भी वे चर्चा में शामिल थे। यह विधेयक करोड़ों महिलाओं के भविष्य से जुड़ा है और इसका लक्ष्य उन महिलाओं को न्याय दिलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। सदन के उपाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में कार्यवाही चल रही है और राज्यसभा में भी कार्यवाही चलनी चाहिए। मगर उनकी इस अपील का कोई असर नहीं हुआ और विपक्षी सदस्यों ने हंगामा कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस तरह से बिल पारित नहीं किया जा सकता। कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा है। मगर सरकार इस पर राजनीति कर रही है। विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा। विपक्ष इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के पक्ष में है। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बिल को लटकाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे कानून बनाने को कहा है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने तीन तलाक विधेयक का विरोध करते हुए 1 जनवरी, 2019 के अंक में लिखा है कि तीन तलाक को जुर्म बनाने के लिए 27 दिसम्बर को लोकसभा में मंजूर किया जाने वाला विधेयक फिर खटाई में पड़ गया है क्योंकि विपक्ष इसे वर्तमान शक्ल में पारित करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष यह मांग कर रहा है कि इसे संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। 31 दिसम्बर को राज्यसभा का अधिवेशन शुरू होने से पूर्व विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की थी और इस बिल को राज्यसभा की संयुक्त समिति को सौंपने पर अपनी संयुक्त रणनीति बनाई थी। कांग्रेस का कहना है कि वह इस विधेयक के वर्तमान प्रारूप को स्वीकार नहीं होने देगी। विधेयक की जिस धारा में तीन तलाक देने वाले पति को तीन वर्ष की कैद की सजा की बात कही गई है विपक्ष को इसपर भारी आपत्ति है। उनका कहना है कि सिविल मामलों में फौजदारी कानून को नहीं घसीटा जाना चाहिए। विशेष रूप से जब दूसरे धर्मों में पत्नी को तलाक देने के मामले में सजा का प्रावधान नहीं है तो इसमें क्यों किया गया है? विपक्ष का यह भी कहना है कि इस विधेयक में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पति के जेल चले जाने के बाद पत्नी का गुजारा कौन चलाएगा?इस तरह से परिवार में नफरत बढ़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों के अनुसार यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक आजादी में सीधा हस्तक्षेप है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में वे कुरान के निर्देश को ही मानेंगे। मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में यह बिल पारित करवाना किसी भी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। क्योंकि यहां पर सरकार के पास बहुमत नहीं है। इस कारण पिछली बार भी राज्यसभा से यह बिल पारित नहीं करवाया जा सका। इसलिए सरकार को इस मामले में सितम्बर में एक अध्यादेश लाना पड़ा लेकिन अध्यादेश को कानून का रूप देना जरूरी है। सरकार का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक को गैरकानूनी ठहरा चुकी है और संसद को इसमें कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। मगर विपक्ष इसमें रोड़े अटका रहा है। इसके उत्तर में कांग्रेस का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बनाने को तो जरूर कहा है लेकिन तीन तलाक को सजा के काबिल बनाने के लिए नहीं कहा है। बिल को लोकसभा में वोटिंग के बाद पास कर दिया गया था। इसके पक्ष में 245 वोट पड़े जबकि विरोध में 11 वोट पड़े। मतदान से पूर्व कांग्रेस एआईडीएमके, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से वाकआउट करके चले गए। 10 विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सरकार इस बात को भलीभांति जानती थी कि राज्यसभा में इसे पारित करवाना सम्भव नहीं होगा। इसके बावजूद इसका ढिंढोरा पीटा गया और 31 दिसम्बर को भाजपा ने व्हीप जारी करके अपने सदस्यों को सदन में रहने का निर्देश दिया। सम्भव है कि सरकार एक बार पुनः अध्यादेश का सहारा ले। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीन तलाक का मुद्दा भाजपा और विपक्ष के बीच मुख्य मुद्दा बन सकता है।

इंकलाब (31 दिसम्बर, 2018) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की है कि वह तीन तलाक पर किसी भी कानून का विरोध करता रहेगा। लोकसभा में तीन तलाक बिल पारित होने के बाद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा

था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है इसलिए इसे कौम के सामने अपनी गलती माननी चाहिए। बोर्ड के कार्यकारणी के सदस्य डॉ. कासिम रसूल इल्यिास का कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी ताकत से इस बिल का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बिल का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वह बहुसंख्यक समाज को यह संदेश देना चाहती है कि हम चाहें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक अन्य सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वे इमाम बुखारी से असहमत हैं। इमाम ने जो कुछ कहा है वह उनकी व्यक्तिगत राय है जिनसे मुस्लिम समाज सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती देंगे।

इंकलाब ने 30 दिसम्बर, 2018 के अंक में लिखा था कि मोदी सरकार को फिर मुंहकी खानी पड़ेगी। यहां तक कि एनडीए में भी मतभेद है। व्हीप जारी होने के बावजूद भी भाजपा के कई सांसद गायब थे। तेलुगू देशम पार्टी पहले ही एनडीए से नाता तोड़ चुकी है जबकि शिवसेना विरोध कर रही है। इस समय राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 89 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के पास 73, जनता दल (यू) 6, शिरोमणि अकाली दल 3, शिवसेना 3, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 1, नागा पीपुल्स फ्रंट 1, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1 और आरपीआई के पास 1 सीट है। इसके जवाब में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए के पास 57 सीटें हैं। जनता दल एलायंस के पास 6 और अन्य पार्टियों के पास 82 सीटें हैं। इनमें अन्ना डीएमके 13 सीटें और डीएमके के पास 4 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस 13, समाजवादी पार्टी 13, बीजू जनता दल 9, तेलुगू देशम पार्टी 6, तेलंगाना राष्ट्र समिति 6, सीपीएम 5, बीएसपी 4, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4, आम आदमी पार्टी 3, सीपीआई 2, पीडीपी 2, वाईएसआर 2, निर्दलीय 6 और मनोनीत 4 सीटें हैं। इस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ कुल 131 वोट हैं। पहले कांग्रेस ने लोकसभा में तीन तलाक बिल का समर्थन किया था मगर इस बार विरोध किया है।

इंकलाब ने 30 दिसम्बर, 2018 के सम्पादकीय में यह शिकायत की है कि मोदी सरकार तीन तलाक बिल पर जानबूझकर जिद्द कर रही है। जब वह राज्यसभा में इससे पूर्व विधेयक को पारित नहीं करवा सकी थी तो उसने अध्यादेश का सहारा लिया था। जब अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई तो इसे पुनः लोकसभा में पेश कर दिया गया। लोकसभा में क्योंकि भाजपा का बहुमत है इसलिए पहले की तरह इस बार भी पारित हो गया। सरकार को यह समझना चाहिए कि तीन तलाक पर जितना शोर मचाया जा रहा है वह इतनी बड़ी समस्या नहीं है। महिलाओं की अन्य कई समस्यायें हैं जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाओं में असुरक्षा की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। मगर मोदी सरकार को इस पक्ष पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। उन्हें हर तरफ तीन तलाक ही नजर आता है। तीन तलाक के बारे में मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्थाएं यह स्पष्टीकरण कर चुकी हैं कि हालांकि तीन तलाक इस्लाम धर्म में शामिल है किंतु इसे पसंद की चीज नहीं माना जाता। मगर इसके बावजूद सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती। आखिर सरकार किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है।

इंकलाब (1 जनवरी, 2019) के अनुसार पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तीन तलाक बिल मुसलमानों पर सीधा हमला है। मोदी सरकार इसके सहारे मुसलमानों के पारिवारिक जीवन को तबाह व बर्बाद करना चाहती है और वह मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। हम गांधी के हिन्दुस्तान को जिया उल हक के पाकिस्तान में नहीं बदलने देंगे।

दावत (1 जनवरी, 2019) ने अपने सम्पादकीय में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार इस बिल की आड़ में मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। सरकार का यह दावा सरासर गलत है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार को मुस्लिम महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है। मोदी सरकार क्योंकि हर मोर्चे पर विफल रही है इसलिए अपनी विफलताओं की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मामलों

को उछाला जा रहा है और इसका लक्ष्य एक विशेष सम्प्रदाय के वोटों का ध्रुवीकरण करना है। दावत ने इसी अंक में एक समाचार प्रकाशित करके कहा है कि वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसे बीजेपी का एक स्टंट और हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों के तुष्टीकरण की संज्ञा दी है। यह संविधान और कानून के साथ मजाक है। इस कानून से सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। जब पति तीन साल के लिए जेल में चला जाएगा तो महिलाओं और बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा?उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और संघ परिवार जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

सियासत (29 दिसम्बर, 2018) ने अपने सम्पादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा तीन तलाक की आड़ में राजनीति कर रही है। बीजेपी की नीति खुलेआम मुस्लिम विरोधी है और वह मुस्लिम सामाजिक ढांचे को तबाह करना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि मुसलमान एकजुट होकर भाजपा के इस खतरनाक इरादों का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुस्लिम विरोधी ताकतों की ओर से इस्लाम और शरीयत के साथ साजिश हो रही है। मुसलमानों को इसे हरगिज स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कानून के दूरगामी परिणाम होंगे। इस्लाम के अनुसार तलाक देने के बाद पति-पत्नी में कोई रिश्ता नहीं रह जाता। मगर इस कानून में शरा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुसलमानों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वे हर राजनीतिक दल और अन्य संगठनों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें इस काले कानून के बारे में अवगत कराएं ताकि संघ परिवार के मुस्लिम विरोधी इरादे विफल हो जाएं।

III

अहमदियों के खिलाफ मुसलमानों का संयुक्त मोर्चा

हमारा समाज (6 जनवरी, 2019) के अनुसार विश्व पुस्तक मेले में अहमदियों द्वारा अपना प्रचार करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका सामना करने के लिए दारूल उलूम देवबंद और उसके विरोधी अहले सुन्नत ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। अहमदियों के प्रचार का मुकाबला करने के लिए मिन्हाज उल कुरान, मजलिस तहफ्फुज खत्मेनाबूत और दारूल उलूम देवबंद ने पुस्तक मेले में जवाबी अभियान शुरू किया है। हॉल नम्बर 21 में मिन्हाज उल कुरान पब्लिकेशन की स्टॉल की जिम्मेवारी मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने सम्भाली है। उनका कहना है कि हमारे भले ही देवबंदियों के साथ वैचारिक मतभेद हों मगर हम खत्मेनाबूत के खिलाफ कोई प्रयास सहन नहीं करेंगे। ज्ञातव्य है कि मुसलमानों का यह विश्वास है कि हजरत मोहम्मद के बाद और कोई पैगम्बर नहीं होगा। जबकि अहमदी मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करते। खत्मे तहफ्फुज खत्मेनाबूत (अंतिम रसूल का संरक्षण) के पक्ष में उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी में काफी साहित्य तैयार किया गया है जिसे मौलाना अहमद रजा अब्बासी मेहरानी के स्टॉल से मुफ्त बांटा जा रहा है। एक अन्य नेता रफीक मलिक ने कहा कि अहमदियों द्वारा मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसका निराकरण करने के लिए रसूल और कुरान में विश्वास रखने वाले सभी मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। रफीक मलिक ने कहा कि उनका सम्बन्ध दारूल उलूम देवबंद से है। पिछली बार विश्व पुस्तक मेले में अहमदियों ने अपना जबर्दस्त प्रचार किया था। इसके निराकरण के लिए इस बार खत्मे नाबूत में विश्वास करने वाले अनेक संगठन एकजुट हुए हैं।

टिप्पणी : ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान के संविधान में अहमदियों को गैर मुसलमान माना गया है। अहमदी सम्प्रदाय के प्रवर्तक एक पंजाबी मिर्जा गुलाम अहमद (1835-1908) थे। अहमदी आंदोलन के अनुयायी मिर्जा को मोहम्मद के बाद एक अन्य पैगम्बर मानते हैं। जबकि इस्लाम में मोहम्मद साहब को अंतिम पैगम्बर माना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद सियालकोट के रहने वाले थे और उन्होंने अहमदी सम्प्रदाय की शुरुआत 23 मार्च, 1889 में की थी। क्योंकि इसका मुख्यालय प्रारम्भ में जिला

गुरुदासपुर का एक कस्बा कादियान था इसलिए अहमदियों को कादियान भी कहा जाता है। इस समय इस सम्प्रदाय के प्रमुख खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद हैं जो कि लंदन में रहते हैं। उनके अनुयायियों की संख्या दो करोड़ बताई जाती है जो कि विश्व के 210 देशों में फैले हुए हैं। अंग्रेजों के इशारे पर अहमदियों ने पाकिस्तान आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। पाकिस्तान बनने के बाद अहमदी मिर्जा भारत से पाकिस्तान चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी पंजाब के झंग जिले में रब्बुआ में एक नया नगर बसाया था। मिर्जा गुलाम अहमद के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी मिर्जा बशीरूद्दीन अहमद को बनाया गया जिसे अहमदियों के एक वर्ग ने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने एक नया समानान्तर संगठन लाहौर अहमदी मुवमेंट बनाया। 1965 में मिर्जा निशार अहमद तीसरे खलीफा बने। चौथे खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद बनाए गए। पांचवें खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद हैं।

अहमदियों और मुसलमानों के अन्य सम्प्रदायों के बीच प्रारम्भ से ही संघर्ष होता रहा है। सन् 1960 में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के शासनकाल में अहमदियों के खिलाफ व्यापक दंगे हुए जिसमें एक लाख से अधिक अहमदी मारे गए। अहमदियों के खलीफा को अपनी जान बचाने के लिए लंदन भागना पड़ा। उसके बाद किसी भी अहमदी खलीफा को पाकिस्तान की भूमि पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। सन् 1974 में पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित करके अहमदियों को काफिर घोषित कर दिया। सन् 1984 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने एक अध्यादेश जारी करके पाकिस्तान में अहमदियों के गतिविधि पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें पाकिस्तान के मस्जिदों में न तो दाखिल होने की अनुमति है और न ही मुसलमानों के कब्रिस्तानों में मुर्दो को दफन करने की अनुमति है। भारत के अनेक नगरों में भी मस्जिदों के दरवाजे अहमदियों के लिए बंद हैं। गत वर्ष हैदराबाद में एक अहमदी लड़की का निकाह एक सुन्नी मुसलमान से हुआ था। इस पर मुस्लिम समाज में भारी बवाल मचा। अतिवादी मौलानाओं के दबाव पर यह निकाह रद्द कर दिया गया। भारत में जमीयत-ए-उलेमा आदि संगठनों की ओर से वर्षो से यह आंदोलन चलाया जा रहा है कि भारत सरकार संविधान में संशोधन करके अहमदियों को गैर मुसलमान घोषित करे और उनके हज जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ वर्ष पूर्व जब अहमदियों ने दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में कुरान के बारे में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था तो जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी और अन्य मुसलमानों के दबाव पर प्रशासन को इस प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। गत वर्ष विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर भी अहमदियों की मुस्लिमों के अन्य सम्प्रदायों से संघर्ष हुआ।

IV

हज का कोटा तय

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी, 2019) के अनुसार जद्दा में भारत सरकार और सउदी अरब के बीच हुए समझौते में 2019 के हज के लिए भारत का कोटा एक लाख 75 हजार 25 निर्धारित किया गया है। इस समझौते पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सउदी अरब के हज मंत्री डॉ. मोहम्मद सालेह बिन ताहेर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत हज कमेटी एक लाख 75 हजार 25 हाजियों को भेजेगी। जबकि प्राइवेट हज ऑपरेटर 50 हजार लोगों को भेजेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के नई नीति के अनुसार इसे देश की 31 राज्यों में बांटा गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मसूद अहमद खान द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार इस बार सरकारी कोटे में एक हजार 125 वीआईपी का कोटा होगा और खादिम-उल-हुज्जाज की सवा छह सौ कोटे होगीं। स्पेशल वीआईपी कोटे की 500 सीटों में से राष्ट्रपति का कोटा 100, उप राष्ट्रपति का 75, प्रधानमंत्री का 75, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा 200 व्यक्तियों का है। इसके अतिरिक्त शेष सीटों में 500 सीट महिलाओं के लिए होंगी। जम्मू-कश्मीर के

लिए 2000 लोगों का विशेष कोटा है। बगैर मोहर्रम के कोटों में 61 फीसदी की वृद्धि की गई है और उसे 2340 कर दिया गया है। बाकी सरपल्स कोटे की एक लाख 74 हजार सीटों को विभिन्न रियासतों में बांटा गया है। इस कारण इस बार कुल 15 राज्यों में सरप्लस कोटा को बांटा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा लाभ केरल को हुआ है। इसे 3078 सीटें और प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र को 2546, उत्तर प्रदेश को 2456, गुजरात को 2396, जम्मू-कश्मीर को 1599, मध्य प्रदेश को 1778, कर्नाटक को 1000, तेलंगाना को 957, राजस्थान को 767, तमिलनाडु को 455, दिल्ली को 445, हरियाणा को 225, उत्तराखंड को 215, छत्तीसगढ़ को 59 और उड़ीसा को 42 अतिरिक्त सीटें प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ का कोटा अब बढ़कर 434 हो गया है। इस तरह दिल्ली का कोटा 2010, गुजरात का कोटा 6602, हरियाणा का कोटा 1506, जम्मू कश्मीर का कोटा 9762, कर्नाटक का कोटा 6701, केरल का कोटा 11472, मध्य प्रदेश का कोटा 4640, महाराष्ट्र का कोटा 11907, उड़ीसा का कोटा 698, राजस्थान का कोटा 5264, तमिलनाडु का कोटा 5434, उत्तर प्रदेश का कोटा 30237, उत्तराखंड का कोटा 1232, तेलंगाना का कोटा 4169 हो गया है। जबकि आंध्र प्रदेश 2135, असम 3588, बिहार 4950, अंडमान निकोबार 115, चंडीगढ़ 36, दादर नगर हवेली 41, दमन व दीव 11, गोवा 191, हिमाचल प्रदेश 72, झारखंड 2233, लक्षद्वीप 342, मणिपुर 499, पांडिचेरी 94, पंजाब 342, त्रिपुरा 110 और पश्चिम बंगाल का कोटा 8470 कोटा हो गया है।

V

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलने की याचिका खारिज

इंकलाब (8 जनवरी, 2019) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी वह मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल ने बिना सुनवाई किए रद्द कर दी। यह याचिका एक वकील रूद्र विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नाम बदलना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पूर्व याचिकाकर्ता स्वयं न्यायालय में हाजिर हुए और उन्होंने अपनी याचिका में भारत सरकार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया को पक्ष बनाया था और उन्होंने यह मांग की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटाया जाए और जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिया शब्द हटाया जाए। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि इस तरह की साज़िशें साम्प्रदायिक तत्व इन इस्लामी संगठनों के खिलाफ करते रहे हैं और यह याचिका केवल प्रसिद्धि पाने के लिए थी। मुख्य न्यायाधीश ने क्योंकि यह याचिका पहले पढ़ ली थी इसलिए उन्होंने आते ही इसे खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील फैजल अयूबी ने यह मांग की कि इस तरह की याचिका दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गत महीने भी इस तरह की एक याचिका रद्द करते हुए चेतावनी दी गई थी। एक अन्य वकील मुस्ताक अहमद ने कहा कि इस तरह से याचिकाएं पहले भी दायर की जाती रही हैं मगर उन्हें खारिज किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां के संस्थानों में अगर हिन्दू, मुस्लिम या सिख नाम जुड़ता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि संविधान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम लिखा है तो इसे कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए तो संविधान को ही बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी इस बात की चर्चा हुई है कि अगर किसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर आपत्ति है तो उसे इससे पहले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम भी बदलना होगा। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि जो लोग भारत को सेकुलर देश नहीं देखना चाहते और इसे हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 31 तक जो अधिकार दिए गए हैं उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? संविधान में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संस्थाएं चला सकते हैं और कोई भी नाम रख सकते हैं। इस पर केवल साम्प्रदायिक तत्व ही आपत्ति कर रहे हैं।

VI

सिराजुद्दीन कुरैशी का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर कब्जा बरकरार

इंकलाब (9 जनवरी, 2019) के अनुसार इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली की प्रबंध कमेटी के चुनाव में सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके पैनल ने शानदार जीत हासिल की है। पूर्व मंत्री आरिफ मोहम्मद खान छह सौ से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। ज्ञातव्य है कि गत कई महीने से मुस्लिम क्षेत्रों और उर्दू समाचारपत्रों में यह चुनाव छाया हुआ था और इस सम्बन्ध में अंधाधुंध विज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे थे। अध्यक्ष पद के लिए सिराजुद्दीन कुरैशी को 1339 वोट प्राप्त हुए जबकि आरिफ मोहम्मद खान को 702 वोट प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से कुरैशी पैनल के एसएम खान को 1036, मोहम्मद इरशाद अहमद को 143, एचआर खान सुहैल को 368, ख्वाजा एम. शाहिद को 288 और एसएम आमीन कुरैशी को 140 वोट प्राप्त हुए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जीतने वाले लोगों में अबरार अहमद, ए. हुसैन खान, कमर अहमद, अहमद रजा, जमशेद जैदी, शराफत उल्लाह और शमीम अहमद शामिल हैं। जबकि कार्यकारी में जीतने वालों में बदरूद्दीन खां, शहाना बेगम, सिकंदर ह्यात और बहार यू. बर्की शामिल हैं। विजय के बाद सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि वर्तमान हालत में जिस तरह से चुनाव हुआ है और जिस तरह से उसे राजनीतिक रंग दिया गया है इससे इस्लामिक कल्चरल सेंटर की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि भ्रांतियां फैलाकर चुनाव नहीं जीते जाते।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (9 जनवरी, 2019) के अनुसार सिराजुद्दीन कुरैशी निरंतर चौथी बार सेंटर के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पूर्व कुरैशी ने पहली बार चुनाव में प्रो. अली जावेद, दूसरी बार पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और तीसरी बार डॉ. शकील उल जमान अंसारी को पराजित किया था। सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल में एक मेंबर निसार खां को छोड़कर छह बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और चार कार्यसमिति के सदस्य चुने गए हैं। चुनाव में एकमात्र हिन्दू उम्मीदवार नरेश गुप्ता खड़े हुए थे मगर उन्हें मुंहकी खानी पड़ी। दिल्ली में रहनेवाले 1800 वोटरों में से 1117 लोगों ने अपने वोट डाले जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं देश एवं विदेशों में रहने वाले 1400 सदस्यों में से 940 ने डाक से अपने वोट भेजे।

टिप्पणी : हिजरी संवत के 1400 वर्ष पूरे होने पर विश्व भर में समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भारत में भी इसे मनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष तात्कालीन उपराष्ट्रपति एम. हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। 3 नवम्बर, 1980 को भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर यह भी फैसला किया गया कि दिल्ली में एक भारतीय इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाया जाए। इस उद्देश्य से एक सोसायटी अप्रैल 1981 में रजिस्टर की गई। इसके अध्यक्ष हकीम अब्दुल हमीद, उपाध्यक्ष मुफ्ती अतीकुर्रहमान, निदेशक बदरूद्दीन तैयब जी, उपनिदेशक सैयद एस. सफी, सचिव मोहम्मद आरिफ, कोषाध्यक्ष एम.डबल्यू.के. युसूफजई और सदस्य बेगम आबिदा अहमद थीं। भारत सरकार ने इस सेंटर को स्थापित करने के लिए नई दिल्ली के लोधी रोड़ क्षेत्र में आठ हजार मीटर भूमि अलॉट की। अब्दुल हमीद ने साढ़े दस लाख रुपया दिया जबकि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने अपनी ओर से दस लाख रुपये का योगदान दिया। 1996 में इस भूमि का कब्जा इस सोसायटी को दिया गया। इसकी आधारशीला श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 अगस्त, 1984 को रखी थी। 1994 में न्यासियों के एक बोर्ड का गठन बेगम आबिदा अहमद की अध्यक्षता में गठित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष योजना आयोग के तात्कालीन सदस्य मोहम्मद फजल को बनाया गया। भारत सरकार ने इस केन्द्र के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि को आयकर से मुक्त कर दिया। इस केन्द्र का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी ने सन् 2006 में किया।

विश्व

I

चीन पाकिस्तान को दे रहा है चार युद्धपोत

सियासत (3 जनवरी, 2019) के अनुसार चीन ने पाकिस्तान की नौ सेना को आधुनिकतम बनाने के लिए सहयोग देना शुरू कर दिया है। चीन सरकार के अनुसार पाकिस्तान को अति आधुनिक चार समुद्री जहाज तोहफे में दिए जाएंगे। इनमें से एक जहाज के निर्माण का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। चीन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को नौ सेना की दृष्टि से इसलिए ताकतवर बनाने का निर्णय किया है ताकि हिन्द महासागर में शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान को जो जंगी जहाज सप्लाई कर रहा है उसपर ऐसी मिसाइल व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जोकि दुश्मन के जहाजों के साथ-साथ पनडुब्बियों और मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। यह जहाज चाइना स्टेट शीपबिल्डिंग निगम द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक वायुयान भी सप्लाई करने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने के लिए खरबों डॉलर की लागत वाली ग्वादर बंदरगाह और सैनिक अड्डे का निर्माण कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त चीन ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका की एक बंदरगाह को भी 99 साल की लीज पर लिया है जिसे एक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में भी चीन द्वारा एक नौसैनिक अड्डा विकसित किया गया है ताकि हिन्द महासागर में भारत के प्रभुत्व को नियंत्रण में रखा जा सके। ज्ञातव्य है कि चीन अपनी पुरानी रणनीति 'मोतियों की माला' के आधार पर भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है।

दैनिक अखबार-ए-मशरिक (3 जनवरी, 2019) के अनुसार चीन जो पाकिस्तान को जहाज दे रहा है वह अति आधुनिक वार शीप है। ऐसा एक वार शीप चीनी सेना के पास भी है। यह जीरो 504 एपी टाइप का है। पाकिस्तान सरकार इससे पूर्व भी इस तरह के कई जहाज खरीदने का ऑडर दे चुकी है। सन् 2021 तक ऐसे चार जहाज पाकिस्तान को चीन से प्राप्त हो जाएंगे जिनमें से प्रत्येक का वजन 4 हजार मिट्रिक टन होगा। पाकिस्तान सरकार के अनुसार सरकार अपनी नेवी का विस्तार कर रही है ताकि वह किसी भी विदेशी हमले का सामना कर सके।

II

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बांग्लादेश के चुनाव की जांच करवाने की मांग

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी, 2019) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विपक्षियों द्वारा इन चुनावों में हुई धांधली के आरोपों के बाद यह मांग की है कि इन चुनावों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ज्ञातव्य है कि इन चुनावों में अवामी लीग और उसकी सहयोगी दलों ने संसद की 90 प्रतिशत सीटों पर विजय प्राप्त की है। बांग्लादेश की विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने यह आरोप लगाया है कि शेख हसीना वाजिद ने यह चुनाव बेईमानी से जीता है। विपक्ष के लाखों कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में जेलों में बंद किया गया है। ज्ञातव्य है कि खालिदा जिला इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्हें 17 वर्ष कैद की सजा हो चुकी है। नवगठित संसद का अधिवेशन ढाका में हुआ था जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली थी। विपक्ष के केवल सात ही सांसद चुने गए हैं जिन्होंने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया है। विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि देश में पुनः चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में करवाए जाएं।

दैनिक इत्तेमाद (3 जनवरी, 2019) के अनुसार बांग्लादेश में विपक्ष के नेता कमाल हुसैन ने कहा है कि विपक्षी दल इन बोगस चुनावों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसी सरकार को पांच वर्ष तक सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं जो बोगस वोटों के सहारे सत्ता में आई हो। उन्होंने कहा कि हमने इन चुनावों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया था मगर सत्तारूढ़ दल पर कोई असर नहीं हुआ। अब हम अगले कदम के बारे में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही असली दोषी हैं। हमने जब-जब चुनावों में धांधली की शिकायत की उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई के बजाय उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसलिए हमलोगों का चुनाव पद्धति और चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया हमें न्याय दिलाएगी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मांग की है कि इन चुनावों में हुई धांधलियों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

III
कंधार में 17 सैनिक मरे

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी, 2019) के अनुसार अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पाकिस्तानी सीमा के समीप स्थित एक चौकी पर सशस्त्र आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें सात अफगान फौजी मारे गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस हमले में चार कर्मचारी घायल भी हुए हैं। कहा जाता है कि हमला करनेवाले तालिबान ग्रुप से थे और इन झड़पों में 16 तालिबान मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में पिछले 17 साल से जारी युद्ध का शांति समाधान खोजने के लिए हालांकि अमेरिका और तालिबान के बीच सीधी वार्ता शुरू हो चुकी है मगर इसके बावजूद तालिबान ने अपने हमले बंद नहीं किए।

IV
सउदी किशोरी को आस्ट्रेलिया में शरण

ताजा समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने आस्ट्रेलिया सरकार से अनुरोध किया है कि वह सउदी अरब की किशोरी को अपने देश में राजनीतिक शरण दे। इस 18 वर्षीय किशोरी ने हाल में ही इस्लाम को ठुकरा दिया है। इस किशोरी का कथन है कि यदि वह अपने स्वदेश लौटी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी क्योंकि सउदी कानून के अनुसार अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो उसकी सजा मौत है। ताजा जानकारी के अनुसार इस किशोरी के परिवारजन थाइलैंड पहुंचे थे और उन्होंने इस लड़की को समझाने बुझाने का प्रयास किया था मगर इसके बावजूद भी वह अपने परिवार के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई।

इंकलाब (8 जनवरी, 2019) के अनुसार सउदी अरब में अपनी घर से भागी हुई 18 वर्षीय लड़की रहफ मोहम्मद अलकुनुन को गत दिनों बैंकॉक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इस लड़की ने यह दावा किया कि अगर उसे आस्ट्रेलिया में राजनीतिक शरण नहीं मिली तो उसके परिवारजन उसकी हत्या कर देंगे। थाईलैंड प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम को इस लड़की से मिलने की अनुमति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस लड़की को संरक्षण चाहिए और हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। इस लड़की के पिता सउदी अरब से थाईलैंड पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या किया जाए?इस लड़की को उसकी इच्छा के विरूद्ध कहीं नहीं भेजा जाएगा। इस लड़की ने दावा किया कि उसे उसके परिवारजनों से खतरा है। वह अपने परिवारजनों के साथ घुमने के लिए कुवैत गई थी और वहां से भागकर कुवैत चली गई। यह लड़की अपने घर से क्यों भागी?यह अभी स्पष्ट नहीं है।

दैनिक हमारा समाज (8 जनवरी, 2019) के अनुसार मानवाधिकार संगठन ने थाईलैंड से मांग की है कि इस सउदी लड़की को वापस सउदी अरब न भेजा जाए। क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस लड़की ने दावा किया कि वह

इस्लाम को छोड़ चुकी है और अगर उसे जबर्दस्ती सउदी अरब भेजा गया तो उसके परिवारजन उसकी हत्या कर देंगे। इस सउदी लड़की ने ट्वीटर पर कहा कि मेरे पिता मुझे पढ़ाना नहीं चाहते और मेरी जबरन शादी करना चाहते हैं और उसे यह भय है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। उसने कहा कि सउदी अरब में किसी को कोई आजादी नहीं है इसलिए वह वहां जाना नहीं चाहती।

V

अमेरिकी संसद में कुरान पर शपथ

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी, 2019) के अनुसार अमेरिका की संसद में दो मुस्लिम महिलाएं डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर जीती हैं। इन महिलाओं ने कुरान पर शपथ ली। अमेरिकी संसद में सदस्यों की संख्या 435 है। मध्यावधि चुनाव के बाद संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व हो गया है। जिन महिलाओं ने कुरान पर शपथ ली उनमें एक रशीदा तलाइब हैं जिन्होंने शपथ समारोह में फिलिस्तीन का राष्ट्रीय लिबास पहन रखा था। उन्होंने सन् 1734 में प्रकाशित कुरान पर शपथ ली। यह विश्व में कुरान का छपने वाला सबसे प्राचीन प्रारूप है। दूसरी महिला का नाम इलहान उमर है। वे सोमालिया की मूल निवासी हैं। उन्होंने सिर पर हिजाब पहन रखा था। उन्होंने जिस कुरान पर शपथ लिया वह उनके दादा का है।

VI

बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (2 जनवरी, 2019) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला लोरलाई में एक छावनी पर कुछ अज्ञात सशस्त्र आक्रमणकारियों ने हमला किया। इस हमले में सेना के अधिकारी सहित आठ लोग मारे गए। जबकि पांच लोग घायल हो गए। जानकार सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों का सम्बन्ध उन संगठनों से है जो कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। आक्रमणकारियों के खिलाफ सेना ने हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया। सेना के प्रवक्ता ने यह बताने से इनकार कर दिया कि आक्रमणकारियों का सम्बन्ध किस संगठन से था?छावनी पर पांच आक्रमणकारियों ने हमला किया जो कि हथियारों से लैश थे। दो सैनिकों की हत्या करने के बाद वे छावनी में दाखिल हो गए। इसके बाद दोनों ओर से कई घंटे तक गोली चलती रही। बाद में क्वेटा से हवाई जहाजों द्वारा और सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने सारे क्षेत्र को घेरे में ले लिया। आसपास के लोगों के अनुसार दोनों पक्षों में गोलीबारी कई घंटों तक चलती रही। जानकार सूत्रों के अनुसार फौज का एक सूबेदार मेजर और तीन अन्य अधिकारी मारे गए। सेना की जवाबी कार्रवाई में तीन आक्रमणकारी मारे गए जबकि बाकी लोग फरार होने में सफल हो गए। इस हमले की जिम्मेवारी तालिबान-पाकिस्तान ने स्वीकार की है। बलूचिस्तान में इससे पूर्व भी सैनिक ठिकानों पर आतंकवादी कई बार हमले कर चुके हैं। क्वेटा में स्थित फ्रंटियर कोर के दफ्तरों पर भी इस वर्ष तीन बार हमला हो चुका है। जिनमें आक्रमणकारियों ने रॉकेटों का इस्तेमाल किया था।

VII

पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं

हमारा समाज (6 जनवरी, 2019) के अनुसार बलूचिस्तान में गत वर्ष पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर 35 महिलाओं और 19 पुरुषों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी संगठन औरत फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हिंसक घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस संगठन ने दावा किया है कि खानदान की प्रतिष्ठा के नाम पर प्रदेश में

145 घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई और इनमें 35 महिलाओं और 19 मर्दों की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष 16 महिलाओं ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या की। जबकि 21 महिलाओं और आठ मर्दों को हिंसा का शिकार बनाया गया। 13 महिलाओं का अपहरण किया गया। 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 2 महिलाओं पर तेजाब फेंककर उन्हें अपंग बना दिया गया। औरत फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी अशफाक मेंगल ने बताया कि हालांकि औरतों के संरक्षण के लिए अनेक कानून मौजूद हैं मगर उनको लागू नहीं किया जाता। अगर उनको लागू किया जाए तो पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस रिपोर्ट के आंकड़े सही तस्वीर पेश नहीं करते क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त महिलाओं में जानकारी कम होने के कारण वह अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठाती।

VIII

तालिबान का अमेरिका के साथ वार्ता करने से इनकार

अखबार-ए-मशरिक (8 जनवरी, 2019) के अनुसार अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ सउदी अरब में शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि वार्ता की जगह बदली जाए। बताया जाता है कि तालिबान ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि सउदी अरब इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि तालिबान अमेरिका से वार्ता करने की बजाए सीधा अफगान सरकार से वार्ता करे। तालिबान और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जल्मे खलीलजाद के बीच अफगानिस्तान में गत सत्रह वर्षों से चल रही युद्ध को खत्म करने के बारे में बातचीत होने वाली थी और इस बातचीत का चौथा दौर सउदी अरब में होना तय हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तालिबान अफगान सरकार से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया कि सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यह चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ सीधी बातचीत करें मगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं इसलिए इस बातचीत को रद्द कर दिया गया है। तालिबान ने बातचीत का अगला दौर कतर में करने पर जोर दिया है जहां पर तालिबान का दफ्तर मौजूद है। काबुल में अमेरिका के दूतावास ने बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इस समाचार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तालिबान के एक नेता ने कहा कि अफगान सरकार यह नहीं चाहती कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली जाए मगर हम विदेशी सैनिकों को वहां से निकालना चाहते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि हालांकि दोनों पक्षों के बीच काफी देर से वार्ता चल रही है मगर इसके बावजूद हिंसा जारी है।

पश्चिमी एशिया

I

सउदी अरब में तलाक का पंजीकरण अनिवार्य

इंकलाब (7 जनवरी, 2019) के अनुसार सउदी अरब में तलाक को पंजीकृत करवाना और महिलाओं को तलाक का पंजीकरण होने की खबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला जुबानी तलाक देने और महिलाओं को तलाक की जानकारी देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए उठाया गया है। सरकारी फरमान के अनुसार अब जुबानी तलाक देने की बजाय उसे अदालत में पंजीकृत करवाना होगा और फैमिली कोर्ट को इसकी सूचना महिला को मोबाइल फोन से मैसेज देकर देनी होगी। इसके अतिरिक्त तलाक से संबंधित अन्य विवरण विधि मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जबकि फैमिली कोर्ट महिलाओं को तलाकशुदा या विधवा होने के बारे में सूचित करेगी। सउदी महिला वकीलों के संगठन की प्रमुख नसरीन अलगामदी ने बताया कि तलाक से संबंधित कानून में हुए संशोधन के बाद अब सउदी महिलाएं इस बात की हकदाार बन गई हैं कि वे तलाक के बाद सभी आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करें। इसके पूर्व इससे बचने के लिए जुबानी तलाक दे दी जाती थी और तलाक के बारे में सम्बन्धित महिलाओं को सूचना तक नहीं दी जाती थी। नए कानून के अनुसार महिलाओं के गुजारे के हक को भी अनिवार्य बना दिया गया है। कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि तलाक से पूर्व बनाई गई किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तलाक से सम्बन्धित इस नए कानून को युवराज शाह मोहम्मद बिन सलमान के आर्थिक और सामाजिक सुधारों से जोड़ा जा रहा है। इससे पूर्व सउदी महिलाओं को वाहन चलाने और नौकरी करने की अनुमति दी गई है जिस पर सउदी अरब में पहले प्रतिबंध था। युवराज ने राज्य में सिनेमाघर खोलने और टेलीविजन के कार्यक्रमों में पुरुष के साथ महिला को भी समाचार पढ़ने की अनुमति दी है। ज्ञातव्य है कि सउदी अरब में आज भी महिला अपने पति, पिता, भाई या बेटे के अनुमति के बिना पासपोर्ट के लिए आवेदन, विदेश यात्रा, विवाह करना, बैंक खाता खोलना और किसी कारोबार की शुरुआत आदि नहीं कर सकती। सउदी समाज में अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं है।

II

तुर्की के खिलाफ अमेरिका का अभियान

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी, 2019) के अनुसार अमेरिका ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप अर्दगान के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस संदर्भ में एक संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि अर्दगान ने तुर्की में तानाशाही स्थापित कर रखी है और जनता को पिछले सत्रह साल से उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण लोग तानाशाही से तंग आकर तुर्की से पलायन कर रहे हैं। गत वर्ष देश में हुए चुनाव में अर्दगान ने संसदीय पद्धति को राष्ट्रपति के शासन में बदल दिया है। उसके बाद तुर्की का आर्थिक विकास भी खटाई में पड़ गया है। तुर्की में न्यूयॉर्क टाइम्स की संवाददाता कारलोत्ता गाल ने यह दावा किया है कि देश की जनता राष्ट्रपति की नीतियों से तंग आ चुकी है और देश में जो भी लोकतंत्र की आवाज उठाता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। हाल में ही एक अमेरिकी पादरी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था मगर बाद में अमेरिका के दबाव पर उसे जेल से रिहा करके तुर्की से निष्कासित कर दिया गया। संवाददाता ने यह दावा किया है कि तुर्की की जेलें अर्दगान के आलोचकों से भरी हुई हैं और पिछले कुछ महीनों में तुर्की की करेंसी की कीमत का भारी अवमूल्यन हुआ है। आर्थिक संकट की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अर्दगान जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। 2009 के बाद तुर्की से बुद्धिजीवियों, छात्रों और उद्योगपतियों का व्यापक पलायन हुआ है। तुर्की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2016 के अनुपात में 2017 में 42 प्रतिशत नागरिकों ने विदेश के लिए पलायन किया है। 2016 में 1 लाख

78 हजार लोग तुर्की छोड़ कर गए थे जबकि 2017 में इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई। अमेरिका ने अपने देश में तुर्की की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

III

मिस्र में सबसे बड़ी मस्जिद

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी, 2019) के अनुसार मिस्र में देश की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया गया है। यह मक्का के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इस मस्जिद का नाम अल फतह अल अलीम है। इसका निर्माण काहिरा से 45 किलोमीटर दूर नए राजधानी क्षेत्र में किया गया है। यह मस्जिद 39 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें चार मीनारें हैं जिनकी उँचाई 90 मीटर है। मस्जिद का गुम्बद 33 मीटर व्यास का है जिसकी उँचाई 28 मीटर है। इसके अतिरिक्त चार अन्य गुम्बद भी हैं। इस मस्जिद का क्षेत्रफल जामिया अल अजहर मस्जिद से दस गुणा बड़ा है। इसके अंदर के खम्भों की उंचाई 45 मीटर है। इस मस्जिद में करीब 17 हजार नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद में प्रवेश के लिए पांच दरवाजे हैं जिनमें तीन पुरूषों और दो महिलाओं के लिए हैं। मस्जिद में 300 बिस्तरों का एक अस्पताल है और दो बड़े हॉल भी हैं।

IV

तुर्की में 140 विद्रोही गिरफ्तार

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी, 2019) के अनुसार तुर्की पुलिस ने सन् 2016 के असफल सैनिक विद्रोह के मास्टर माइंड और अमेरिका में रह रहे फतहुल्लाह गुलेन के समर्थकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभ्यिान छेड़ा गया है जिसके तहत अब तक 140 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं। जबकि जानकार सूत्रों ने पकड़े गए लोगों की संख्या 300 के लगभग बताई है। तुर्की सरकार ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में रह रहे तुर्की मूल के नेता फतहुल्लाह गुलेन ने अर्दगान सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया था जो कि विफल हो गया। जबकि गुलेन इस आरोप का खंडन कर चुके हैं। एक अन्य सूत्र के अनुसार तुर्की के 30 जिलों में छापे मारे गए और 35 उच्च सैनिक अधिकारियों और दर्जनों सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 10 फौजी नौ सैनिक अधिकारी हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2016 के असफल विद्रोह के बाद कम-से-कम डेढ़ लाख लोगों को तुर्की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है।

V

ईरान में नौ बहाईयों को कैद

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी, 2019) के अनुसार ईरान की एक न्यायालय ने बहाई धर्म के मानने वाले नौ ईरानियों को 16-16 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। ज्ञातव्य है कि ईरान में बहाई धर्म पर कानूनन प्रतिबंध है। जो व्यक्ति बहाई धर्म को स्वीकार करता है उसे जेल में भेजने के बाद ईरान से निष्कासित कर दिया जाता है। ईरानी शासन व्यवस्था बहाई सम्प्रदाय और उसकी विचारधारा को धर्म नहीं मानती और न ही बहाईयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। ईरान में शिया सरकारी धर्म है और शियाओं के अलावा अन्य धर्मों के अनुयायियों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उदाहरण के रूप में देश की राजधानी तेहरान में हालांकि 20 लाख सुन्नी मुसलमान हैं मगर उनकी एक भी मस्जिद नहीं है, क्योंकि ईरान सरकार सुन्नियों को मस्जिद के

निर्माण की अनुमति नहीं देती। इसी तरह से ईरान में बहाई सम्प्रदाय के सभी उपासना स्थलों और प्रचार केन्द्रों को बंद किया जा चुका है।

ज्ञातव्य है कि बहाई धर्म की नींव लेबनॉन में रहने वाले एक व्यक्ति बहाउल्लाह ने रखी थी जो कि सन् 1817 में पैदा हुआ था और उसने बहाई धर्म की स्थापना सन् 1844 में की थी। उस पर मौलवियों ने काफिर होने का आरोप लगाया था और उसे जेल में बंद कर दिया गया। बीस साल जेल में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। मुसलमान बहाई सम्प्रदाय को गैर-इस्लामिक मानते हैं। इसलिए सभी इस्लामी देशों में बहाई सम्प्रदाय पर प्रतिबंध है। आज पूरे भारत में बीस लाख से अधिक बहाई सम्प्रदाय के लोग रह रहे हैं। नई दिल्ली में बहाईयों ने लोटस टैम्पल का निर्माण भी करवाया है जो कि राजधानी के नेहरू प्लेस क्षेत्र में स्थित है। इसकी गणना राजधानी के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में होती है।

VI
मिस्र का इजरायल के साथ सुरक्षा सहयोग

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी, 2019) के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मिस्र और इजरायल के बीच सहयोग सम्बन्ध है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इजरायल सीनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में मिस्री सुरक्षा संस्थानों की सहायता कर रहा है। टीवी चैनल ने यह दावा किया है कि मिस्र सरकार ने इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग के बाद उनसे यह अनुरोध किया था कि इस इंटरव्यू को प्रसारित न किया जाए मगर चैनल ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। विश्लेषकों के अनुसार यह पहला अवसर है जबकि मिस्र के राष्ट्रपति स्वयं इजरायल के साथ सुरक्षा मामलों में नजदीकी सहयोग की बात को स्वीकार किया है। यही कारण है कि मिस्र की सरकार इस इंटरव्यू के प्रसारण को रोकना चाहती थी। मिस्र के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अरब देशों में उनके लिए कठिनाई पैदा हो सकती है। ज्ञातव्य है कि मिस्र और इजरायल के बीच अब तक चार बार युद्ध हो चुके हैं। हालांकि दोनों देशों ने 1979 में शांति समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मगर इसके बावजूद मिस्र की जनता इजरायल के साथ सम्बन्धों के खिलाफ है। मिस्री राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया कि इस समय दोनों देशों के बीच जो सहयोग है वह उससे पूर्व कभी नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि सीनाई प्रायद्वीप में इस्लामिक स्टेट आदि कई उग्रवादी संगठनों ने अपने पैर पसारे हैं। जिनके हमलों में अब तक सैकड़ों मिस्री सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। मिस्री राष्ट्रपति की सरकार ने गत वर्ष आतंकवादियों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ा था। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि मिस्री राष्ट्रपति ने इजरायल को उत्तरी सीनाई प्रायद्वीप में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले की अनुमति प्रदान की थी।

VII
सीरिया में पांच आतंकवादी गिरफ्तार

इंकलाब (8 जनवरी, 2019) के अनुसार सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएस से सम्बन्ध रखने के आरोप में पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें दो पाकिस्तानी, दो अमेरिकी और एक आइरिश नागरिक है। इनको सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स ने गिरफ्तार किया है। इनकी सरकारी सेना से झड़पें हुई थी जिसमें ये जख्मी हो गए थे। गिरफ्तार होने वालों में 34 वर्षीय अमेरिकी नागरिक वारेन उर्फ अबू मोहम्मद है जबकि दूसरा अमेरिकी नागरिक अरब मूल का जाहिद अब्दुल हामिद है। जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं उनके नाम फजर्रहमान और अब्दुल अजीम राजपूत हैं। पांचवां डबलिन का रहनेवाला एलेक्जेंडर रोज़बिक है। सूत्रों के अनुसार ये पांचों आतंकवादी सीरियाई नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे थे।

अन्य

I

जफर सरेशवाला की मौलाना हसनी नदवी से रहस्यमय मुलाकात

इंकलाब (5 जनवरी, 2019) के अनुसार आम चुनाव की धमक शुरू होते ही भाजपा ने मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नजदीकी जफर सरेशवाला ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रब्बै हसनी नदवी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, तीन तलाक बिल और बाबरी मस्जिद के मामले पर आपस में बातचीत हुई। दारूल उलूम नदवा के सूत्रों के अनुसार मौलाना ने स्पष्ट शब्दों में सरेशवाला को बता दिया कि देश के वर्तमान हालात बेहद गंभीर हैं और सरकार की ओर से मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों और इस्लामी शरियत में जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है वह मुसलमानों को कबूल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार को उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जफर सरेशवाला ने बताया कि वे मौलाना से मिलने के लिए विशेष रूप से लखनऊ आए हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक नहीं है और न ही सरकार का इरादा मुसलमानों के मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की है। सरेशवाला ने अपने ट्वीटर अकाउंट से इस भेंट की तस्वीर साझा की। जफर सरेशवाला उन मुसलमानों में से है जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों के बाद नरेन्द्र मोदी का खुलेआम समर्थन किया था। बाद में उन्हें इनाम के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा गरम है कि जफर सरेशवाला मोदी के दूत के रूप में मौलाना से मिलने के लिए आए थे।

II

मुंबई में ईरानी बैंक की शाखा

सहाफत (9 जनवरी, 2019) के अनुसार भारत सरकार ने ईरान के एक बैंक को मुंबई में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है। यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने भारत के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ के साथ हुई मुलाकात के बाद दी। उन्होंने कहा कि ईरान में भारत के सहयोग से चाबहार नामक जो बंदरगाह बनाई गई है उसे जल्द चालू कर दिया जाएगा। गड़करी ने कहा कि चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ अड़चनें थीं जिन्हें ईरान सरकार ने दूर कर दिया है। दक्षिणी ईरान में जॉर्डन की खाड़ी की तट पर स्थित यह बंदरगाह सैनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे पाकिस्तान ने चीन द्वारा विकसित की गई एक बंदरगाह ग्वादर का जवाब माना जाता है जो चाबहार से मात्र 180 कि.मी. दूर है। भारत ने इस बंदरगाह के लिए साढ़े आठ करोड़ डॉलर की मशीनरी खरीदी है। गड़करी ने कहा कि ईरानी बैंक मुंबई में अगले तीन महीने में काम करना शुरू कर देगा।

III

एक अन्य आतंकवादी पुलिस हिरासत में

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी, 2019) के अनुसार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। इसे न्यायालय ने दस दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। नईम नामक जिस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया गया उस पर आरोप है कि उसने पकड़े गए

गिरोह को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए थे। जमीयत-ए-उलेमा ने पकड़े गए सभी लोगों को कानूनी सहायता मुफ्त उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। आरोपियों की ओर से एम.एस. खान अदालत में पेश हुए। उन्होंने नईम को पुलिस हिरासत में भेजने का विरोध किया। मगर इसके उत्तर में सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को इस बात की जांच करनी है कि उसके पास हथियार कहां से आए? जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि पकड़े गए लोग बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि अगले तीन महीने में इस सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाए।

IV

मुस्लिम युवकों को सोशल मीडिया से दूर रहने का निर्देश

सहाफत (5 जनवरी, 2019) के अनुसार अमरोहा की जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में इमामों ने मुसलमानों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि इसके इस्तेमाल से वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इन इमामों ने कहा कि वे किसी धर्म, पार्टी और संगठन के बारे में किसी तरह के कोई टिप्पणी न करें और इन मामलों को नजरअंदाज करें। शेयर और लाइक तक न करें। फोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी आवाज को रिकॉर्ड करे और आपको फंसा दे। बताया जाता है कि जमीयते उलेमा के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती उस्मान मंसूरपुरी ने सभी मदरसों के इमामों को यह संदेश भेजा है कि वे मुसलमानों पर आए संकट को देखते हुए मुस्लिम नौजवानों को सोशल मीडिया से दूर रखें। अमरोहा, हापुड़ और दिल्ली में आईएसआईएस के समर्थकों की हुई गिरफ्तारियों के बाद मुसलमान नेता इस बात में जुटे हुए हैं कि मुसलमान नौजवान सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि सरकारी एजेंसियां उन्हें फंसा सकती हैं।

V

तीन तलाक पर मुकदमा दर्ज

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (3 जनवरी, 2019) के अनुसार तीन तलाक के मामले में मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में नए अध्यादेश के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति साफ होने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। सूचना के अनुसार सादिक नगर के वासी मोहम्मद शमीम ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बहन का निकाह तीन वर्ष पहले खुर्जा के एक नौजवान आबिद के साथ हुआ था। आबिद खुर्जा में कांच के बर्तनों का कारोबार करता है। आरोप यह है कि निकाह के बाद से ही आबिद ने उसकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उसने एक मुकदमा दहेज उत्पीड़न एक्ट के तहत दर्ज करवाया था। इसके बाद आबिद ने पुरानी तारिख का तलाकनामा बनाकर उन्हें भिजवा दिया। आरोप यह है कि आबिद ने शरीयत का हवाला देते हुए उसकी बहन को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया है और इसके साथ ही तलाक का नोटिस भी भेजा है। तलाक देने की तिथि 17 जुलाई, 2018 बताई गई है। जबकि डाक से उसे 5 अक्टूबर को यह पत्र प्राप्त हुआ है। शमीम का आरोप है कि आबिद इससे पूर्व भी अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है और अब वह उसकी बहन का जीवन भी बर्बाद करना चाहता है। शमीम का यह आरोप है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला का कहना है कि इस महिला ने पहले से ही अपने पति के उपर दहेज का मुकदमा दायर किया हुआ है। अब नई याचिका के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर अध्यादेश के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

VI

तुर्क उद्योगपतियों को पाकिस्तान में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण

हमारा समाज (6 जनवरी, 2019) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की दौरे के दौरान वहां के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों को पाकिस्तान में पूंजी निवेश करने और उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वे पाकिस्तान में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह की सहायता दी जाएगी। इमरान खान इन दिनों तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वहां उन्होंने उद्योगपतियों से भेंट की और राष्ट्रपति अर्दगान से भी भेंट की। इमरान ने कहा कि हमारी नीति यह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी समाप्त हो और गरीबी का खात्मा हो। हम विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिए जो भी विदेशी पूंजीपति पाकिस्तान में आएगा उसे वहां पूंजी निवेश करने पर हर तरह की सहायता दी जाएगी। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ख़ाक़ान अब्बासी ने आरोप लगाया है कि इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। मूद्रा स्फीति में भारी वृद्धि हुई है और जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उद्योग-धंधे ठप हो गए हैं जिससे बेकारी बढ़ रही है। यहां तक कि पाकिस्तान सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को चीन से आर्थिक सहायता लेनी पड़ी है।

VII

अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई का प्रयास विफल

हमारा समाज (9 जनवरी, 2019) के अनुसार लीबिया की सरकार ने यह दावा किया है कि तुर्की से गैरकानूनी तौर पर लीबिया में जो अस्त्र-शस्त्र भेजने का प्रयास किया गया था उसे सुरक्षा एजेंसियों ने विफल बना दिया है। इन एजेंसियों ने अस्त्र-शस्त्रों से भरा हुआ एक ट्रक अपने कब्जे में लिया है। एक सरकारी बयान के अनुसार तुर्की ने समुद्री मार्ग से लीबिया में अवैध रूप से अस्त्र-शस्त्र भेजने का प्रयास किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने लीबिया में 2011 से चल रहे गृहयुद्ध के बाद वहां विदेशों द्वारा अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मशरात बंदरगाह के प्रशासकों का कहना है कि तुर्की से आने वाला ये अस्त्र-शस्त्र बच्चों के खिलौनों और घरेलू सामान के बीच छिपाए हुए थे। सरकार ने 556 डब्बे बरामद किए हैं जिनमें से हरेक में 36-36 पिस्तौल छिपाये गए थे। अभी यह साफ नहीं है कि ये अस्त्र-शस्त्र तुर्की ने किस विद्रोही ग्रुप को भेजे थे। इससे पहले भी अस्त्र-शस्त्र से लदा हुआ एक जहाज सरकारी सैनिकों ने पकड़ा था। लीबिया सरकार का आरोप है कि तुर्की सरकार उनके देश में विद्रोह की ज्वाला को भड़का रही है।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

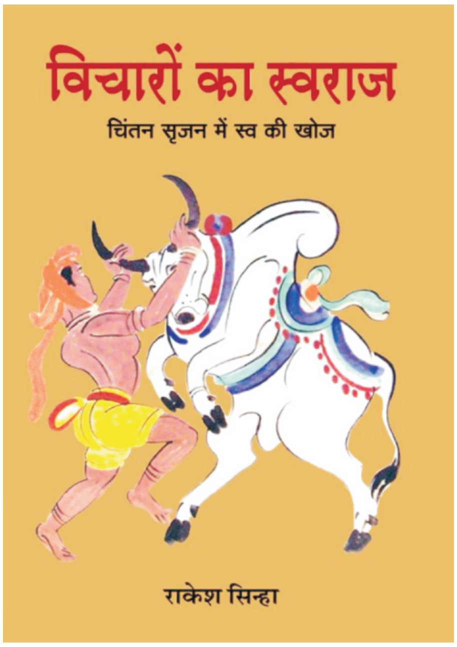

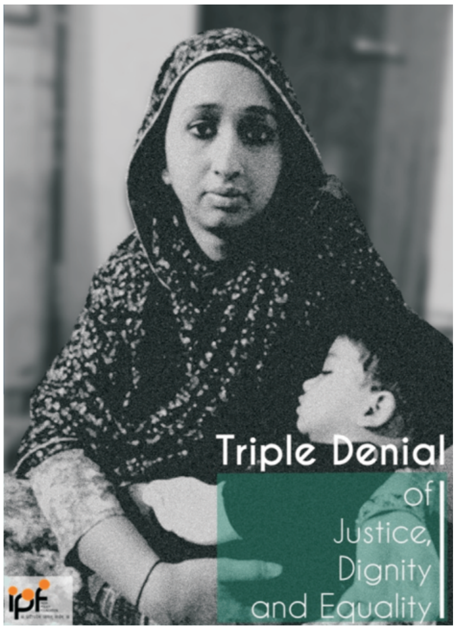

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org